फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री दामोदर प्रसाद **विपक्षी : श्री गणेशलाल**

किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम **पत्रावली संख्या : 29/25**

जीसीएमएस : 2025/139

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 26.08.2025 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा जवाब काउन्टर प्रार्थना पत्र पेश नहीं करना चाहकर सीधे बहस सुनी जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अवलोकन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त भूमि के प्रार्थी व विपक्षीगण सहखातेदार हैं। मूल वाद में प्रारम्भिक डिक्री जारी की जा चुकी हैं। अधिवक्ता प्रार्थी का कथन है कि मौके पर विपक्षीगण, प्रार्थी के हिस्से कब्जे में दखलन्दाजी करते हैं एवं अधिवक्ता विपक्षीगण का कथन है कि मौके पर प्रार्थी, विपक्षीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करते हैं। उभय पक्षकारान ही एक दूसरे को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाना चाहते हैं। प्रकरण में दिनांक 25.03.2025 से अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हैं। यदि उभय पक्षकारान को मूल वाद में अन्तिम डिक्री जारी होने तक पाबंद नहीं किया जाता है तथा उभय पक्षकारान एक दूसरे के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करते है तो मौके पर विवाद होने की प्रबल सम्भावना हैं। अतः उभय पक्षकारान को मूल वाद के निस्तारण तक पाबंद किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता है ताकि प्रकरण में अनावश्यक पैचिदगीया उत्पन्न नहीं हो। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र एवं विपक्षी संख्या 1 का काउन्टर प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता हैं। **–: <u>आदेश</u> :–** परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का एवं विपक्षी संख्या 1 का काउन्टर प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा इस अमर की जारी की जाती है कि मौजा ओडवाडिया पटवार हल्का गुडली की जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 की खाता संख्या 135 पर दर्ज आराजी नम्बर 1292, 1295, 1298 किता 3 कुल रकबा 0.7203 हेक्टेयर भूमि में उभय पक्षकारान मूल वाद के निस्तारण तक एक दूसरे के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नहीं करे। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया। **(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)** **सहायक कलक्टर** **(SDO) मावली**	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 18:28:40 IST
Reason: SelfAttested